<u>न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 167 / 2020 **दायर दिनांकः 21 / 10 / 2020**

उनवान

1. रिचर्ड गुलाब आयु 53 वर्ष पुत्र गुलाब मसीह जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

.............वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

.........प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0</u>

उपस्थिति :—
वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री भैरूलाल कुमार

निर्णय दिनांक 30 / 05 / 2022

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट. का इस आशय का पेश किया है कि मुताबिक जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 के अनुसार ग्राम एवं माल पिपलोद तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 24 का ख0न0 186 की 1.73 है0, ख0नं0 203 / 1047 की 0.10 है0, ख0नं0 215 / 1044 की 0.05 है0, ख0नं0 218 की 1.06 है0, ख0नं0 301 की 1.26 है0, ख0नं0 374 की 0.87 है0, ख0नं0 381 की 1.90 है0, ख0नं0 725 की 0.08 है0, ख0नं0 734 / 1099 की 0.03 है0, ख0नं0 735 की 0.08 है0, ख0नं0 736 / 1100 की 0.03 है0 कुल किता 11 का रकबा 7.19 है0 आराजी वादी के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादी का 127 हिस्सा दर्ज खाता है। उक्त जमाबन्दी में वादी का नाम सहवन से प्रतिवादी के अधिनस्थ कर्मचारीगण की लापरवाही से उर्मिला रिचर्ड पुत्र गुलाब दर्ज हो गया है। जबकि वादी का नाम आधार कार्ड व अन्य शैक्षणिक दस्तावेजाता में रिचर्ड गुलाब पुत्र गुलाब मसीह दर्ज है। जो कि वादी का वास्तविक नाम है। नकल जमाबन्दी वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। प्रतिवादी के अधिनस्थ कर्मचारीगण की लापरवाही के कारण वादी का नाम खाते में गलत उर्मिला रिचर्ड पुत्र गुलाब दर्ज

हो जाने से वादी को राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं सहायता से अकारण ही वंचित होना पड रहा है तथा ऋण आदि लेने से भी काफी असुविधा उत्पन्न हो रहा है। वादी को जब इस बाबत जानकारी हुई तो वादी दिनांक 07.10.2020 को अपना आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजात लेकर खाते में अपना नाम उर्मिला रिचर्ड पुत्र गुलाब के स्थान पर सही नाम रचिर्ड गुलाब पुत्र गुलाब मसीह दर्ज करवाने हेतु प्रतिवादी के पास गया और आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजात के आधार पर वादी का नाम दुरूस्त करने बाबत निवेदन किया तो उनने इंकार करते हुये माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। और बिना सहायता न्यायालय वादी खाते में अपना नाम दुरूस्त नहीं करवा सकता। वाद कारण दिनांक 07.10.2020 को वादी द्वारा अपना आधार कार्ड, व अन्य दस्तावेजात ले जाकर उसके आधार पर प्रतिवादी से खाते में अपना नाम दुरूस्त करवाने का निवेदन करने पर व उनके द्वारा इन्कार करते हुये माननीय न्यायालय में वाद पेश करने की हिदायत देने पर अंतिम बार माननीय न्यायालय के सीमा क्षैत्र में उत्पन्न हुआ। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने उन्हे इस वाद में आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है। विवादग्रस्त आराजी ग्राम व माल पिपलोद तह0 अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। अतः माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सादिर फरमाई जावे किः—

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी वाके ग्राम एवं माल पिपलोद तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 24 का ख0न0 186 की 1.73 है0, ख0नं0 203/1047 की 0.10 है0, ख0नं0 215/1044 की 0.05 है0, ख0नं0 218 की 1.06 है0, ख0नं0 301 की 1.26 है0, ख0नं0 374 की 0.87 है0, ख0नं0 381 की 1.90 है0, ख0नं0 725 की 0.08 है0, ख0नं0 734/1099 की 0.03 है0, ख0नं0 735 की 0.08 है0, ख0नं0 736/1100 की 0.03 है0 कुल किता 11 का रकबा 7.19 है0 में वादी का नाम उर्मिला रिचर्ड पुत्र गुलाब के स्थान पर आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजात के आधार पर वास्तविक नाम रिचर्ड गुलाब पुत्र गुलाब मसीह दर्ज करवाये जाने के आदेश फरमावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। साक्ष्यवादी के अन्तर्गत अवसर दिये जाने के उपरान्त भी साक्ष्यवादी पेश नहीं करने के कारण साक्ष्यवादी बन्द किये गये।

3. अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सुनी। अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी का नाम उर्मिला रिचर्ड पुत्र गुलाब के स्थान पर आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजात के आधार पर वास्तविक नाम रिचर्ड गुलाब पुत्र गुलाब मसीह दर्ज करवाये जाने के आदेश फरमावे।

4. पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 के अनुसार ग्राम एवं माल पिपलोद तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 24 कुल किता 11 का रकबा 7.19 है0 आराजी में सहखातेदार उर्मिलारिचर्ड पुत्र गुलाब का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज है। प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी का नाम आधार कार्ड में रिचर्ड गुलाब पुत्र गुलाब मसीह दर्ज है। जनआधार में रिचर्ड गुलाब दर्ज है। मतदाता पहचान पत्र में रिचर्ड गुलाब पुत्र गुलाब मसीह दर्ज है। परिवार राशन कार्ड में रिचर्ड गुलाब पुत्र गलाब मसीह दर्ज है।

अतः न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल पिपलोद तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 24 का ख0न0 186 की 1.73 है0, ख0नं0 203/1047 की 0.10 है0, ख0नं0 215/1044 की 0.05 है0, ख0नं0 218 की 1.06 है0, ख0ंन0 301 की 1.26 है0, ख0नं0 374 की 0.87 है0, ख0नं0 381 की

1.90 है0, ख0नं0 725 की 0.08 है0, ख0नं0 734/1099 की 0.03 है0, ख0नं0 735 की 0.08 है0, ख0नं0 736/1100 की 0.03 है0 कुल किता 11 का रकबा 7.19 है0 में सहखातेदार का नाम उर्मिलारिचर्ड पुत्र गुलाब के स्थान पर रिचर्ड गुलाब पुत्र गुलाब मसीह दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30/05/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 167/2020

उनवान

1. रिचर्ड गुलाब आयु 53 वर्ष पुत्र गुलाब मसीह जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................ रूबरू..............X..............................
बहाजिर :–
वादी :–विद्वान अभिभाषक श्री भैरूलाल कुमार
मिनजानित मुदई रूबरू ....X..
मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल पिपलोद तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 24 का ख0न0 186 की 1.73 है0, ख0नं0 203/1047 की 0.10 है0, ख0नं0 215/1044 की 0.05 है0, ख0नं0 218 की 1.06 है0, ख0नं0 301 की 1.26 है0, ख0नं0 374 की 0.87 है0, ख0नं0 381 की 1.90 है0, ख0नं0 725 की 0.08 है0, ख0नं0 734/1099 की 0.03 है0, ख0नं0 735 की 0.08 है0, ख0नं0 736/1100 की 0.03 है0 कुल किता 11 का रकबा 7.19 है0 में सहखातेदार का नाम उर्मिलारिचर्ड पुत्र गुलाब के स्थान पर रिचर्ड गुलाब पुत्र गुलाब मसीह दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X...................... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X........................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 30/05/2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)